

आदेश

प्रशासनिक सुधार (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(23)प्र.सु./कार्मिक/क-3/99 दिनांक 12.1.2011 एवं प-6(23)प्र.सु./कार्मिक/क-3/99 दिनांक 11.7.2011 द्वारा निलम्बित राजसेवकों के बहाली हेतु दिनांक 31.3.2015 को सम्पन्न हुई पुनर्विलोकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नलिखित कर्मचारियों को पेण्डिंग जांच बहाल किया जाता है-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी मय पदनाम	वर्तमान में मुख्यावास	निलम्बन आदेश दिनांक
1.	श्री बक्शीराम, कनिष्ठ लिपिक	जिला कार्यालय धोलपुर	11.8.2011
2.	श्री इन्द्राज दुर्गसर, छात्रावास अधीक्षक	जिला कार्यालय, चूरू	28.5.2010
3.	श्री अमर सिंह चारण, छात्रावास अधीक्षक	जिला कार्यालय, प्रतापगढ़	23.11.2010
4.	श्री राजेन्द्र उपाध्याय, कनिष्ठ लिपिक	जिला कार्यालय, सीकर	01.3.2004

उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय एवं विभागीय जांच के निर्णय के अधधीन रहेगी तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात किया जावेगा। इस बहाली के फलस्वरूप उनके विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में किसी प्रकार का वितरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

M 8.4.15

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक: एफ-1(5)(354)/जांच/सान्याअवि/15/2115

जयपुर, दिनांक : 8/4/15

प्रतिलिपी सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: -

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यावास।
5. कोषाधिकारी
6. उप निदेशक/ सहायक निदेशक /जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/जिला पुनर्वास अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
7. ए.सी.पी. मुख्यावास (विभागीय वेबसाइट हेतु)
8. प्रभारी, नियुक्ति पी-2, पी-3, प्रशाखा।
9. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री
10. व्यक्तिगत/संबंधित पत्रावली श्री
11. आदेश पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)